राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

कमांकः प.2/निकृवि/मं.सु./श्र.क.यो./2015/ 542-691 दिनांक 10/4/2015

आदेश

'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015'

1. योजना का नाम–

1. यह योजना प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत अनुज्ञप्तिधारी हम्मालों एवं पल्लेदारों की सहायतार्थ है जो कि 'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015' कहलाएगी।

2. यह योजना दिनांक 11.04.2015 से प्रभावशील होगी।

2. परिभाषाएँ–

1. श्रमिक से तात्पर्य ऐसे हम्माल एवं पल्लेदार से है, जिसने राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, 1961 के अधीन हम्माल एवं तुलारा के रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त की हो और वह राज्य की मण्डियों में निर्धारित कार्य कर रहा हो तथा जिसे किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा हो।

3. सहायता कोष की स्थापना–

1. कृषि उपज मण्डी समिति के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलारा को सहायता प्राप्त करने की पात्रता होगी जिनकी अनुज्ञप्ति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा कम से कम एक वित्तीय वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई हो और वे कृषि उपज मण्डी समिति में हम्माल एवं पल्लेदार का कार्य कर रहे है।

2. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के लिये निम्नानुसार राशि अपने बजट से उपलब्ध कराना होगीः–

कमांक	कृषि उपज मण्डी समिति की श्रेणी	वार्षिक अंशदान की राशि
1.	"विशिष्ट" एवं "अ" श्रेणी	1000/– (एक हजार रूपये मात्र)
2.	"ब" श्रेणी	500/– (पांच सौ रूपये मात्र)
3.	"स" श्रेणी	300/– (तीन सौ रूपये मात्र)
4.	"द" श्रेणी	200/– (दो सौ रूपये मात्र)

नोटः– मंडी समितियों द्वारा दिये जाने वाले उपरोक्त उल्लेखित अंशदान में परिवर्तन करने का अधिकार निदेशक कृषि विपणन विभाग को होगा।

3. अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदारों की सहायता के लिये कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा आवंटित/जमा राशि के अतिरिक्त शेष निधि का आवंटन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा "किसान कल्याण कोष" से प्रत्येक वर्ष अपने बजट से किया जावेगा।

4. सहायता–

योजना के अन्तर्गत हम्माल एवं पल्लेदार अनुज्ञप्तिधारी को निम्नानुसार सहायता उपलब्ध कराई जायेंगीः–

1. प्रसूति सहायता–

महिला अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदार को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 45 दिवस की मजदूरी के समतुल्य सहायता राशि का भुगतान देय होगा।

पितृत्व अवकाश के रूप में शिशु के हम्माल/तुलारा/पल्लेदार पिता को राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिक के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर अनुसार 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान देय होगा।

1–अ विवाह के लिये सहायता–

अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी महिला की दो पुत्रीयों की सीमा तक रु 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) प्रति विवाह सहायता देय होगी। सहायता के लिये संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में विवाह के 10 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2. छात्रवृत्ति/मेघावी छात्र पुरस्कार योजना–

प्रत्येक ऐसा छात्र/छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है एवं जिसके अभिभावक मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी हम्माल या पल्लेदार है, को निम्न दर पर मेघावी छात्रवृत्ति दी जायेगी–

कक्षा	छात्र	छात्रा	
10 वीं में 80 % से अधिक अंक 70 % से 80 % तक	3000/– 2000/–	3500/– 2500/–	प्रति छात्र एकमुश्त
12 वीं में 90 % से अधिक अंक 80 % से 90 % तक 70 % से 80 % तक	5000/– 4000/– 3000/–	6000/– 5000/– 4000/–	प्रति छात्र एकमुश्त
स्नातक में 60 % से अधिक अंक	4000/–	5000/–	प्रति छात्र एकमुश्त
स्नातकोत्तर में 60 % से अधिक अंक	5000/–	6000/–	प्रति छात्र एकमुश्त

यह पुरस्कार यथासंभव पात्रता स्थापित होने के तीन माह में देय होगा।

3. चिकित्सा सहायता–

अनुज्ञप्तिधारी हम्माल अथवा पल्लेदार को गंभीर बीमारी (कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि से संबंधित) होने की दशा में सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों में भरती रहने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम रू. 20,000/– (बीस हजार रूपये मात्र) की सीमा तक स्वीकृत की जायेगी। यह सहायता राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना एवं अन्य किसी योजना के अन्तर्गत देय सहायता के अतिरिक्त होगी।

इस योजना के तहत उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता यथा विवाह, प्रसूति, एवं छात्रवृति दो बच्चों की सीमा तक देय होगी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में ही सहायता देय होगी।

5. स्वीकृति के अधिकार–

योजना अंतर्गत उल्लेखित प्रावधान तथा राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा निर्धारित की गयी प्रकिया अनुसार प्रति हितग्राही के दावों की स्वीकृति कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी ।

6. प्रशासनिक व्यवस्थाएँ–

'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015' सहायता योजना के कियान्वयन के लिये आवश्यक निर्देश एवं प्रकिया राजस्थान कृषि विपणन विभाग द्वारा समय समय पर तैयार की जाकर प्रसारित की जायेगी।

7. योजना के अधीन प्राप्त होने वाले दावों का निराकरण/अपील–

1. कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा निरस्त किये जाने वाले दावे के संबंध में अपील राजस्थान कृषि विपणन विभाग के क्षेत्रिय कार्यालय को की जा सकेगी।
2. क्षेत्रिय कार्यालयों कृषि विपणन विभाग के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध पुर्नावलोकन निदेशक, कृषि विपणन विभाग को किया जा सकेगा, जो कि अंतिम होगा।
3. 'महात्मा ज्योतिबा फूलें मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015' में किसी भी बात का उल्लेख होते किसी भी दावें (क्लेम) को सहायता (पोषणीय) के रूप में लिया जावेगा। दावा (क्लेम) को अधिकार के रूप में नहीं माना जावेगा।

8. योजना के कियान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति–

राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, निदेशक कृषि विपणन विभाग को योजना के कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये तथा योजना में परिवर्तन/ परिवर्धन करने का अधिकार होगा।

(दिनेश कुमार यादव)
निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन विभाग
राजस्थान, जयपुर

कमांकः प.2/निकृवि/मं.सु./श्र.क.यो./2015/ 542 - 691

दिनांक 10/4/2015

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव माननीय कृषि मंत्री, महोदय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप–2)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. मुख्यलेखाधिकारी, कृषि विपणन जयपुर।
6. वरिष्ट निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन जयपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उपनिदेशक, कृषि विपणन।
8. समस्त सचिव कृषि उपज मण्डी समिति।
9. आरक्षित।

निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन विभाग
राजस्थान, जयपुर

"महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015"

आवेदन पत्र

(आवेदक द्वारा भरा जावेगा)

आवेदक की नवीनतम फोटो

1. आवेदक का नाम ....
2. जन्म तिथि ....
3. आवेदक के पिता / पति का नाम ....
4. वैवाहिक स्थिति(विवाहित / अविवाहित)..
5. आवेदक का प्रकार (हम्माल / तुलारा / पल्लेदार)..
6. मण्डी समिति का नाम जहां से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया..
7. हम्माल / तुलारा / पल्लेदार का अनुज्ञापत्र संख्या ....स्वीकृति दिनांक..............

   (आवेदन के साथ छायां प्रति संलग्न करें)
8. स्थाई पता..

   ....मो0न..........................
9. बैंक का नाम एवं खाता संख्या जिसमें आवेदक का खाता है..
10. फर्म का नाम जहां पर आवेदक कार्यरत है ....

    ....

    (आवदेक गत लगातर 6 माह से कार्यरत हो उस फर्म का नाम व पता)
11. जिस वर्ग में सहायता हेतु आवेदन किया गया है। (संबंधित वर्ग को (✓) करें।

(अ) प्रसूति सहायताः– (1) महिला अनुज्ञापत्रधारी हम्माल / तुलारा / पल्लेदार को अधिकतम 2 प्रसूतियों के लिए सहायता देय होगी।

(2) शिशु के हम्माल / तुलारा / पल्लेदार पिता को 2 शिशुओं के लिए पितृव्त अवकाश सहायता देय होगी।

(ब) विवाह के लिए सहायताः– अनुज्ञापत्रधारी महिला के विवाह एवं अनुज्ञप्तिधारी महिला / पुरूष की दो पुत्रियों की सीमा तक सहायता देय होगी।

(स) छात्रवृति / मेघावी छात्र पुरस्कार योजना में सहायता :– (दो बच्चों की सीमा तक देय होगी) प्रत्येक ऐसा छात्र / छात्रा जो प्रथम श्रेणी अंक पाता है एवं जिसके अभिभावक मण्डी में अनुज्ञापत्रधारी हम्माल / तुलारा / पल्लेदार है, को मेघावी छात्रवृति दी जावेगी।

(द) चिकित्सा सहायता

स्थान –

दिनांक –

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान

वर्ग अनुसार आवेदन हेतु आवश्यक पूर्तियाँ

(अ) प्रसूति सहायता

(1) महिला आवेदक – मातृत्व अवकाश सहायता हेतु आवश्यक पूर्तिया–

1. योजना आरम्भ दिनांक 11.04.2015 को जीवित सन्तानों की संख्या(पुत्र / पुत्रियाँ)..................
2. योजना लागू होने के पश्चात् प्रथम प्रसव दिनांक ....
3. सरकारी चिकित्सालय / स्वास्थ्य केन्द्र का नाम एवं प्रमाण..
   (प्रसव पूर्व टीकाकरण कार्ड की प्रति लगावें)
4. शिशु जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र ....

(2) पुरूष आवेदक – पितृत्व अवकाश सहायता हेतु आवश्यक पूर्तिया–

1. शिशु जन्म दिनांक व स्थान (प्रमाण)..
2. शिशु की माता / आवेदक की पत्नि का नाम..
3. परिवार कार्ड नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)...

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान

(ब) विवाह के लिए सहायता

पुत्री का नवीनतम फोटो

1. सहायता हेतु आवेदन किया जा रहा है (स्वयं अनुज्ञापत्रधारी महिला / पुरूष हम्माल / तुलारा / पल्लेदार के विवाह हेतु अथवा उसकी प्रथम पुत्री के विवाह हेतु / द्वितीय पुत्री के विवाह हेतु) ....
   ....
2. विवाह की निर्धारित तिथि (विवाह कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें)
   ....
3. पुत्रियों के विवाह हेतु आवेदन के साथ परिवार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति लगावें जिसमें पुत्रियों का नाम व उम्र का उल्लेख हों।
4. विवाह के पश्चात् विवाह पंजीयन की फोटो प्रति कार्यालय में जमा करवाया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान

(स) छात्रवृति / मेघावी छात्र पुरस्कार के रूप में सहायता
(2 बच्चों की सीमा तक देय होगी।)

छात्र / छात्रा का नवीनतम फोटो

1. छात्र / छात्रा का नाम..
2. छात्र / छात्रा के पिता / माता अनुज्ञापत्रधारी हम्माल / तुलारा / पल्लेदार का नाम व अनुज्ञप्ति संख्या व जारी दिनांक ....
....
3. छात्र / छात्रा द्वारा जो कक्षा उत्तीर्ण की गई (10 वीं, 12 वीं, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर).....
....वर्ष..
4. प्राप्त किए गए अंक प्रतिशत (अंक तालिका की प्रति संलग्न करें)

कक्षा	प्राप्तांक	प्राप्तांक प्रतिशत
10 वीं में 80 % से अधिक अंक 70 % से 80 % तक अंक		
12 वीं में 90 % से अधिक अंक 80 % से 90 % तक 70 % से 80 %तक		
स्नातक में 60 % से अधिक अंक		
स्नातकोत्तर में 60 % से अधिक अंक		

5. विद्यालय / महाविद्यालय का नाम जहां से छात्र / छात्रा ने उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की................
....

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान

(द) चिकित्सा सहायता

1. अनुज्ञप्तिधारी हम्माल / पल्लेदार जिस बीमारी से ग्रसित है।
   (कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी आदि)..
2. बीमारी के दौरान जिस सरकारी अस्पताल / स्वास्थय केन्द्र में भरती रहा / रही......................
   ....(भर्ती एवं डिस्चार्ज टिकिट की छाया प्रति सलग्न करें)
3. भरती के दौरान डॉक्टर द्वारा दिया गया उपचार का विवरण। (चिकित्सा परामर्श व भुगतान रसीद संलग्न करें)
   ....

घोषणा पत्र
(आवेदक द्वारा)

मै श्री / श्रीमति .... पति / पिता .... उम्र............ निवासी...... ....घोषणा करता / करती हूँ कि **महात्मा ज्योतिबा फूले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना–2015** योजनान्तर्गत मेरे द्वारा मण्डी समिति में प्रस्तुत किए जा रहे आवेदन पत्र मे मेरे द्वारा दी गई समस्त सूचना सही है एवं मेरे द्वारा आवेदन पत्र में वर्णित वांछित सहायता हेतु अन्य किसी विभाग में सहायता हेतु आवेदन नहीं किया गया है। मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत हुई तो मैं प्राप्त समस्त राशि लौटानें को बाध्य रहूगां तथा मेरे विरूद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए भी जिम्मेदार रहूगां।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान

घोषणा पत्र
(आढ़तिया / व्यापारी द्वारा)

मै श्री / श्रीमति...पिता / पति..........................उम्र............. निवासी................ ....फर्म का नाम ....अनुज्ञापत्र संख्या.........................श्रेणी .... कारोबार स्थल...................................घोषणा करता हूँ कि श्री / श्रीमति................................ पिता / पति...हमारी फर्म पर पिछले ....माह / वर्ष से हम्माली / पल्लेदारी / तुलारा का कार्य कर रहें है। इनका चरित्र अति उत्तम है।

हस्ताक्षर
(फर्म प्रतिनिधी)

कार्यालय उपयोग हेतु
प्राप्ति रसीद

श्रमिक कल्याण योजना 2015 के तहत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु श्री / श्रीमति..पिता / पत्नि ....निवासी..........................का आवेदन आज दिनांक ....को कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

हस्ताक्षर(लिपिक)
शाखा प्रभारी
कृ.उ.म.स.

....